भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एवं श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल में सामान्य श्रेणी; श्रेणी II; श्रेणी I और विशेष श्रेणी चालक के पद के लिए भर्ती नियमों के मसौदे पर सार्वजनिक सूचना

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग-डीओपीटी के दिनांक 0सं .ज्ञा.के का 13.10.2015 के अनुपालन में (आरआर)पनास्था-2008/61/14017.एबी, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एवं श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल में सामान्य श्रेणी; श्रेणी II; श्रेणी I और विशेष श्रेणी चालक के पद के लिए भर्ती नियम संलग्न है।

भर्ती नियमोंके मसौदे पर कोई भी आपत्तिधारक क पणणियां अथवा सुझाव देने के लिए इच्छुटिप्प/ भर्ती नियमों के मसौदे के प्रकाशन की तिथि से दिनों की अवधि के भीतर श्री थेंकोलाल बैटे 30, (Thenkholal baite)अनुभाग अधिकारी -एमएच)II(, कमरा सं . ए405, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली 110108-को लिखित रूप में भेज सकते हैं या t.baite12@nic.in पर ई मेल कर सकते हैं।-

ग. प्र. सामंत
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष:01123061521

नई दिल्ली
दिनांक :

[भारत के राजपत्र, भाग-II, खंड-3, उपखण्ड (1) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख: 2018

सा.का.नि. . . . - राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 1981 को, जहां तक उनका संबंध चालकों के पद से है, अधिक्रांत करते हुए लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में चालकों के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, नामत:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली, सामान्य श्रेणी; श्रेणी II; श्रेणी I और विशेष श्रेणी चालक पद भर्ती नियम 2018 है।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मेट्रिक्स में स्तर या वेतनमान-** पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मेट्रिक्स में उनका स्तर या वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि-** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता-** वह व्यक्ति-

   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है; या

   (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

   उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

   परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति:** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए कारणों को लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति:** इन नियमों की ऐसी कोई बात आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मेट्रिक्स में स्तर या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधी भर्ती वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
स्टाफ कार चालक (सामान्य श्रेणी)	5* (2018) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मेट्रिक्स में स्तर 2 (रु.19900-63200)	अचयन	18 से 25 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए सामान्य अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके चालीस वर्ष तक और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की दशा में शिथिल करके पैंतालीस वर्ष तक की जा सकती है।) टिप्पण 1: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख़ अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्ति के लिए नियत की गई अंतिम तारीख़ होगी (न कि वह अंतिम तारीख़ जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर राज्य के लद्दाख़ खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिला और चम्बा जिला का पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह और लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) टिप्पण 2: रोजगार कार्यालय के माध्यम से भर्ती की दशा में आयु सीमा अवधारित करने की नियत तारीख वह अंतिम तिथि होगी जिस दिन तक रोजगार कार्यालय को नामों को प्रस्तुत करने के लिए कहा जाए।	आवश्यक: (i) मोटरकार चलाने का वैद्य चालक लाइसेंस; (ii) मोटर मेकैनिज्म का ज्ञान (अभ्यर्थी को वाहन में छोटी-मोटी ख़राबी दूर करनी आनी चाहिए); (iii) मोटरकार चलाने का न्यूनतम 3 वर्षों का अनुभव; और (iv) 10वीं कक्षा उत्तीर्ण वांछनीय: होम गार्ड या सिविल स्वयंसेवक के रूप में 3 वर्षों की सेवा। टिप्पण 1: अनुभव संबधी अर्हताएं, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार वहां उन कारणों को लेखबद्ध करते हुए शिथिल की जा सकती हैं यदि चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग की यह राय हो कि आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।

सीधी भर्ती वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है तो उसकी संरचना	भर्ती की किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श अपेक्षित
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	सीधी भर्ती वाले या पुन:नियुक्त व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	प्रनिनियुक्ति/आमेलन जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा। सशस्त्र सेना कर्मियों के लिए: प्रतिनियुक्ति/पुन:नियुक्ति	प्रतिनियुक्ति/आमेलन: लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल में वेतन मेट्रिक्स के स्तर 1 (रु. 18000-56900) में नियमित डिस्पैच राइडर (समूह ग) और समूह ग के कर्मचारी जिनके पास मोटर कार चलाने का वैद्य चालक लाइसेंस हो में से मोटर कार चलाने की योग्यता का मूल्यांकन करने के लिए वाहन चालन परीक्षा के आधार पर, जिसके न हो सकने पर केन्द्रीय सरकार के अन्य मंत्रालयों में वेतन मेट्रिक्स के स्तर 1 में नियमित आधार पर डिस्पैच राइडर का पद धारण करने वाले व्यक्तियों या नियमित समूह ग कर्मचारियों में से जो स्तंभ 7 में उल्लिखित आवश्यक अर्हताओं का धारण करते हों। सशस्त्र सेना कार्मिकों के लिए प्रतिनियुक्ति/ आमेलन: सशस्त्र सेना के ऐसे कार्मिक पर भी विचार किया जाएगा जो सेवानिवृत्त होने वाले हों या जिन्हें एक वर्ष की अवधि के अंदर रिजर्व में स्थानांतरित किया जाना है और जो निर्धारित अपेक्षित योग्यता और अर्हताएं रखते हों। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति अवधि प्रदान की जाएगी जिस तारीख को उन्हें सशस्त्र सेना से कार्यमुक्त किया जाने वाला है, जिसके पश्चात् उन्हें पुन: नियुक्ति पर बनाए रखा जा सकता।	पुष्टि पर विचार करने के लिए समूह ग विभागीय पुष्टि समिति: 1. अपर स्वास्थ्य अधीक्षक, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज – अध्यक्ष 2. चिकित्सा शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के प्रभारी उपनिदेशक – सदस्य 3. उपनिदेशक प्रशासनिक, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज - सदस्य	लागू नहीं होता

(ए.11018/27/2017-एमएच-II खंड I)

(जी पी सामंता)
अवर सचिव (अस्पताल)

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मेट्रिक्स में स्तर या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधी भर्ती वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
स्टाफ कार चालक श्रेणी II	5* (2018) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मेट्रिक्स में स्तर 4 (रु.25500-81100)	अचयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधी भर्ती वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है तो उसकी संरचना	भर्ती की किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श अपेक्षित
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति	प्रोन्नति: वेतन मेट्रिक्स में स्तर 1 के स्टाफ कार चालक (सामान्य श्रेणी) जिन्होंने उस श्रेणी में 9 वर्षों की नियमित सेवा की हो और जिन्होंने सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट व्यवसाय परीक्षण उत्तीर्ण की हो।	समूह ग विभागीय प्रोन्नति समिति: 1. संबंधित अस्पताल के अपर स्वास्थ्य अधीक्षक - अध्यक्ष 2. उपनिदेशक, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय – सदस्य 3. संबंधित अस्पताल के उपनिदेशक प्रशासनिक - सदस्य	लागू नहीं होता

(ए.11018/27/2017-एमएच-II खंड I)

(जी पी सामंता)
अवर सचिव (अस्पताल)

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मेट्रिक्स में स्तर या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधी भर्ती वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
स्टाफ कार चालक श्रेणी-I	5* (2018) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मेट्रिक्स में स्तर 5 (रु.29200-92300)	अचयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधी भर्ती वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है तो उसकी संरचना	भर्ती की किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श अपेक्षित
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति	प्रोन्नति: संबधित अस्पताल में वेतन मेट्रिक्स में स्तर 4 के स्टाफ कार चालक श्रेणी- II जिन्होंने उस श्रेणी में 6 वर्ष की नियमित सेवा की है या स्टाफ कार चालक श्रेणी-II और स्टाफ कार चालक (सामान्य श्रेणी) में 15 वर्षों की सम्मिलित सेवा की है; और जिन्होंने सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट व्यवसाय परीक्षण उत्तीर्ण की हो।	समूह ग विभागीय प्रोन्नति समिति: 1. संबंधित अस्पताल के अपर स्वास्थ्य अधीक्षक –अध्यक्ष 2. उपनिदेशक, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय - सदस्य 3. संबंधित अस्पताल के उपनिदेशक प्रशासनिक - सदस्य	लागू नहीं होता

(ए.11018/27/2017-एमएच-II खंड I)

(जी पी सामंता)
अवर सचिव (अस्पताल)

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मेट्रिक्स में स्तर या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधी भर्ती वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
स्टाफ कार (विशेष श्रेणी)	1* (2018) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मेट्रिक्स में स्तर 6 (रु.35400-112400)	अचयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधी भर्ती वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है तो उसकी संरचना	भर्ती की किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श अपेक्षित
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	प्रोन्नति	प्रोन्नति: संबधित अस्पताल में वेतन मेट्रिक्स में स्तर 5 के स्टाफ कार चालक श्रेणी-I जिन्होंने उस श्रेणी में 3 वर्ष की नियमित सेवा की है।	समूह ग विभागीय प्रोन्नति समिति: 1. संबंधित अस्पताल के अपर स्वास्थ्य अधीक्षक -अध्यक्ष 2. उपनिदेशक, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय -सदस्य 3. संबंधित अस्पताल के उपनिदेशक प्रशासनिक - सदस्य	लागू नहीं होता

(ए.11018/27/2017-एमएच-II खंड I)

(जी पी सामंता)
अवर सचिव (अस्पताल)